न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.– 108 / 2024

उम्मेद सिंह राठौड़ पुत्र भंवर सिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी सारायण तहसील तारानगर।

– वादी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– प्रतिवादी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 29/07/24

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा सारायण के खसरा सं. 791/248 तादादी 3.1739 हेक्ट. हैं। जिसमें वादी का नाम उम्मेदसिंह पुत्र बच्चनसिंह अंकित है जो गलत है, जबकि वादी का नाम उम्मेद सिंह राठौड पुत्र भंवर सिंह राठौड़ सही हैं। वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम उम्मेद सिंह राठौड़ पुत्र भंवर सिंह राठौड़ है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए वादी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा सारायण के खसरा सं. 791/248 तादादी 3.1739 हेक्ट. में वादी का नाम उम्मेद सिंह राठौड़ पुत्र भंवर सिंह राठौड किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब वादी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर वादी अपना नाम उम्मेदसिंह पुत्र बच्चनसिंह की जगह उम्मेद सिंह राठौड पुत्र भंवर सिंह राठौड़ करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उम्मेदसिंह पुत्र बच्चनसिंह ही दर्ज है। अतः वादी का नाम उम्मेदसिंह पुत्र बच्चनसिंह की जगह उम्मेद सिंह राठौड पुत्र भंवर सिंह राठौड़ दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से वादी का दस्तावेजीय नाम उम्मेद सिंह राठौड़ पुत्र भंवर सिंह राठौड़ पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा सारायण के खसरा सं. 791/248 तादादी 3.1739 हेक्टे. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि **उम्मेदसिंह पुत्र बच्चनसिंह Delete** कर इसके स्थान पर **उम्मेद सिंह राठौड़ पुत्र भंवर सिंह राठौड़** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/07/24.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)